



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

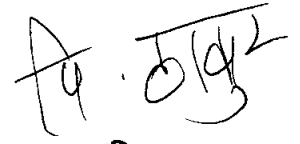
माननीय सांसद **Dr. Santanu Sen** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **923** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MD RIDWAN AALAM JUNAID	ALAGIR MOLICK, MOB-6297934194	1	IIMC JOKA
2	SUBHAJEET GHOSH	SHYAMAL GHOSH, MOB-9830643556, 9830238373	3	IIMC JOKA
3	SAYAN SINGH	AMAR SINGH, MOB-9836450946	2	IIMC JOKA
4	VIVAAN DUTTA	DIPAK DUTTA DULATPUR, MOB-9230383139, 9836731983	1	COMMAND HOSPITAL ALIPORE
5	ARADHYA BANIK	PRASANTA BANIK, MOB-9874619071, 9123610490	1	COMMAND HOSPITAL ALIPORE
6	KIRTI BAG	KAMAL BAG, MOB-8910025451, 9339208572	1	DUMDUM
7	SAMRIDDHI SARKAR	SOUMYA SARKAR, MOB-9038567670	1	COSSIPORE
8	ADRIZA BISWAS	APURBA BISWAS, MOB-7278582908, 9433350271	3	BARRACKPORE
9	DEBJIT PAUL	BANIL PAUL, MOB-9674036247, 8777898628	1	COSSIPORE
10	ESHAN MONDAL	SANJAY MANDAL, MOB-9681098782, 9062541404	1	COSSIPORE

कृ. पृ. उ.
 प्र. ठाकुर

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Santanu Sen माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)